# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
### आदेश

संoसंo–17/विविध 01–15/2025–596(17) पटना, दिनांक– 05.06.25

विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017 के आलोक में राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पीoजीo/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु उच्चतर शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय अवधि बॉण्ड पुरी करने हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 में अंकित चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

| क्रo संo | नाम | जन्म तिथि | विषय | सत्र | चिकित्सा संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | डाo वृंदा झा | 24.09.1993 | औषधि विभाग | सत्र–2020–23 | अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढी, पटना |
| 02 | डाo मोo ऐमन खुर्शीद | 17.08.1994 | सर्जरी विभाग | सत्र–2018–21 | अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपुर, दरभंगा |
| 03 | डाo सुमन प्रकाश | 21.08.1990 | औषधि विभाग | सत्र–2017–20 | सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा |
| 04 | डाo नीतीश कुमार (बीoएचoएसo) | 05.01.1989 | सर्जरी विभाग | सत्र–2018–21 | सदर अस्पताल, रोहतास |

2. उक्त पदस्थापित पीoजीo/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र जिन्हें विशेषज्ञता हासिल है, को यथासंभव उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सीय कार्यों के साथ–साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य भी लिया जाये।
3. उक्त सभी चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 में पदस्थापित चिकित्सा संस्थान में आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. इनका यह नियोजन किसी भी रूप में नियमित नियोजन नहीं माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को पूर्व से प्राप्त हो रहे वेतन एवं अनुमान्य भत्तें देय होगें तथा वेतन से की जा रहीं कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
6. उक्त पदस्थापित चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान विभागीय पत्र संख्या–881(1), दिनांक–27.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार 85,000/–(पचासी हजार रूपये) प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित चिकित्सा संस्थान के कार्यालय बजट शीर्ष 28–02 संविदा सेवाएँ मद से किया जायेगा।
7. उक्त सभी चिकित्सकों का नियोजन विभागीय संकल्प संo–450(1) दिनांक–15.04.2017 के आलोक में तीन वर्षो की बॉण्ड अवधि के लिये किया जा रहा है। अतः बॉण्ड अवधि में केवल आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश ही देय होगा।
8. बंधेज पत्र के अनुसार तीन वर्षो की बॉण्ड अवधि की समाप्ति के उपरांत चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गये तीन वर्षो की अवधि की गणना के प्रमाणीकरण के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा चिकित्सक का मूल प्रमाण–पत्र उन्हें लौटा दिया जायेगा।
9. विभागीय आदेश संo–91(17), दिनांक–27.01.2023 के प्रावधान भी लागू होंगे।
10. किसी चिकित्सा संस्थाना में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्व बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक के अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी/समकक्ष रिक्त पद के विरूद्व वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Renu 05/06/2025

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

**ज्ञापांक :–17/विविध–01–15/2025** – 596(17) पटना/दिनांक– 05-06-25

**प्रतिलिपि** :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumar 05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।